ग्राम पंचायत सगूर, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सगूर विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति अनीता देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति पिंकी देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री कुलवीर सिंह	01.04.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सगूर के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि(लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर	0.36
2	पैरा-4.4	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना	-

3	पैरा-5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.19
4	पैरा-5.1	मोबाइल टावर कंपनी से स्थापना एवं नवीनीकरण शुलक की वसूली न करना	0.12
5	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	4.35
6	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	6.79
7	पैरा-9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	7.89
8	पैरा-10	आपूर्तिकर्ताओं को एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात भुगतान करने बारे	0.35

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सगूर विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 01.10.16 से 05.10.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	09/2013	03/2014
2014-15	03/2015	12/2014
2015-16	03/2016	06/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **<u>अंकेक्षण शुल्क</u> :-**

ग्राम पंचायत सगूर विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि ०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 05.10.16 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 679756 (KCCB) दिनांक 13.10.16 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई।

4 **<u>वितीय स्थिति</u> :-**

ग्राम पंचायत सगूर, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सगूर, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	117955	29002	146957	40882	106075
2014-15	106075	116078	222153	45209	176944
2015-16	176944	38360	215304	35714	179590

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत सगूर, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	187868	1695199	1883067	1474940	408127
2014-15	408127	1631300	2039427	1695798	343629
2015-16	343629	1585067	1928696	1493942	434754

4.1 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

स्व: स्त्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 179590

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 434754

कुल ₹614344

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष ₹ 654923.90

हस्तगत राशि ₹289

माह 3/16 को चैक जारी किए लेकिन 31.3.16

तक भुनाये नहीं गये ₹5102

अन्तर की राशि ₹35767

Cheque No. 037485 Dated 19.03.16 issued (VKNY KCCB- 85694) but cleared on 11.05.16	1102.00
Cheque No. 887189 Dated 30.03.16 issued (KCCB-1871) but cleared on 28.04.16	4000.00
कुल	**₹5102**

बैंक खाता संख्या	**राशि**
MNREGA, KCCB – 01882	0
MNREGA, PNB – 12858	0
General, Own Source, KCCB – 01871	176688.00
VKNY, KCCB- 85694	1537.00
SDP, KCCB-85945	565.00
NCRF, KCCB- 85275	1032.00
13TH FC , KCCB – 84566	452638.00
3rd State Commission KCCB – 83255	22192.90
3rd State Commission KCCB – 84770	271.00
IAY KCCB – 82467	0
General PNB – 19659	0
RAY, KCCB – 82933	0
कुल राशि	**654923.90**

4.2 <u>रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹0.36 लाख के अन्तर बारे :-</u>

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, VKNY, MP, SDP, 13^{th} FC, 3^{rd} FC एवं NCRF इत्यादि में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय -2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था , जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹ 35767/- का अन्तर पाया गया जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232 दिनांक 04.10.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त अन्तर की ₹35767 बारे स्थिति स्पष्ट करें।

4.3 <u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-</u>

ग्राम पंचायत सगूर की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.4 <u>नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना:-</u>

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता-क एवं खाता-ख के अनुरूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व अनुदानों को खाता-ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

5 <u>पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-</u>

पंचायत की स्व : स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है

क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹19450 की वसूली शेष थी ।

1 गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग की जानी अपेक्षित**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	27250	27250	54500	20350	34150
2014-15	34150	28300	62450	44100	18350
2015-16	18350	28900	47250	27800	19450

2 भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2013-14 से 2015-16 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

5.1 <u>रिलायंस कंपनी से टावर के स्थापना फीस एवं नवीनीकरण शुल्क ₹0.12 लाख की वसूली न करना</u> :-

जांच में पाया कि पंचायत में मोबाइल टावर की शुल्क का लेखा जोखा नहीं रखा गया था , अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233 दिनांक 05.10.16 द्वारा पंचायत सचिव को पंचायत परिक्षेत्र में स्थापित कुल मोबाइल टावरों की सूचना मांगी गई थी, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 05.10.16 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत में कुल दो टावर एयरटेल वर्ष 2007 से एवं रिलायंस वर्ष 2013 में स्थापित किए गए थे जिसमें से एयरटेल टावर से नियमित रूप में शुलक प्राप्त हो र हा है जबकि रिलायंस से स्थापना शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी । हिमाचल प्रदेश पंचायती विभाग के पत्र संख्या/पी सी एच/एच ए0/8/99 दिनांक 9.11.2016 द्वारा दर्शाई

दरों के अनुसार ₹4000 स्थापना शुलक व वर्ष 2013 से 2017 तक कुल 4 वर्षो का नवीनीकरण शुलक ₹8000 (₹2000 प्रतिवर्ष x 4) कुल ₹12000 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

6 **<u>अनुदान ₹4.35 लाख का उपयोग न करना</u> :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹434754 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 **<u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹ 50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई

जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

8 **<u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 6.79 /- लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹679215 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जो कि उक्त नियमों के अनु रूप न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 **<u>₹7.89 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 , 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹789098 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

10 **<u>आपूर्तिकर्ताओं को एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात ₹0.35 लाख के भुगतान करने बारे :-</u>**

जांच में पाया कि आपूर्तिकर्ता मैसेर्ज कमलेश कुमार ने पंचायत के कार्य " नि. कुहल जगदेव की जमीन से बांध तक" निम्न विवरणानुसार माह

01/2012 में ₹34750 के मूल्य की निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी जबकि भुगतान 05/2013 में किया गया था अर्थात आपूर्ति के एक वर्ष चार माह के पश्चात भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं इस कार्य की माप पुस्तिका, परिमाप संबन्धित प्रविष्टियाँ एवं इस कार्य के पूर्ण करने की दिनांक से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न लिखित है :

वाउचर संख्या	**बिल का विवरण**	**राशि**
4 दिनांक 20.05.13	Bill No. 424 Dated 15.01.12 M/s Kamlesh Kumar & Co.	9000.0
5 दिनांक 20.05.13	Bill No. 425 Dated 15.01.12 M/s Kamlesh Kumar & Co.	10000.
6 दिनांक 20.05.13	Bill No. 16 Dated 12.01.12 M/s Kamlesh Kumar & Co.	15750.

11 <u>2 बैग सीमेंट का संभावित दुरुपयोग</u> :-

सीमेंट भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि मनरेगा भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ-54-55 पर दिनांक 09.11.13 को 202 बैग सीमेंट के दर्ज थे एवं इसके पश्चात दिनांक 21.07.14 तक कुल 200 बैग सीमेंट विभिन्न कार्यो हेतु जारी किए गए थे एवं सीमेंट का अन्तिम स्टॉक 2 बैग सीमेंट के स्थान पर शून्य दर्शाया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 2 बैग सीमेंट के मूल्य की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के संबन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

12 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर

3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
8. मोबाइल टाबर की शुल्क के रख-रखाब का रजिस्टर तैयार न करना ।

13 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह
(बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया
सं गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है
दी जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही
प अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 <u>लघु आपति विवरणिका</u> :-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 51/2016–खण्ड–1–1017–1020 दिनाँकः 15.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत सगूर, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.